संख्या:3/119/पैंतीस-2-2014-3/39(13)/2012

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2014**

विषय- **अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिकारियों को सी0यू0जी0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को अग्रिम भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 09/एसएसएसपी सेल-ले0 37/2011, दिनांक 15 जनवरी, 2014 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या: 1304/पैतीस-2-2013-3/16(29)/09 दिनांक 31.07.2013 द्वारा जारी की गई वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-3454-02-001-05-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान-13-टेलीफोन पर व्यय की मद में उपलब्ध बजट की धनराशि रू0 6,86,000/- (रू0 छः लाख छियासी हजार मात्र) से अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिकारियों को सी0यू0जी0 की सुविधा माह अप्रैल, 2014 से सितम्बर, 2014 तक (कुल छः माह) उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक धनराशि रू0 1,88,335/- (रू0 एक लाख अट्ठासी हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) बी0एस0एन0एल0 को उक्त धनराशि को भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम आहरण किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) उक्त अग्रिम आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों, नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(4) धनराशि के व्यय के उपरान्त यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ए-1-88/दस-14, दिनांक 24 मार्च, 2014 पर प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 119 (1)/पैंतीस-2-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी (पंचायती एवं सहकारी समितियां) इन्दिरा भवन, लखन3।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखन ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा सें,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in